[2013] 12 एस. सी. आर 793

कमलेश कुमार

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या- 2083/2013)

11 दिसंबर, 2013

[के. एस. राधाकृष्णन और ए. के. सिकरी, न्यायमूर्तिगण]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881:

धारा 138-चेक अस्वीकृत होना- चेक अस्वीकृत होने की जानकारी के 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस नहीं भेजा जाना- अभिनिर्धारितः शिकायतकर्ता को उसी चेक को दूसरी बार प्रस्तुत करने का अधिकार है-हालांकि, सीमा अवधि की गणना उस तिथि से नही की जानी चाहिए, जब प्रश्नगत चेक पहली बार प्रस्तुत किया गया था या कानूनी नोटिस जारी किया गया था, जब तक कि चेक फिर से प्रस्तुत नही किया गया था- चेक का भुगतान न किए जाने के बाद, इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए- शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं दिए गए दृढ कथन से यह स्पष्ट है कि वह चेक भुनाने के लिए बैंक गया था और पाया कि खाते में पर्याप्त शेष राशि न होने के कारण चेक अस्वीकृत हो गया था। शिकायत में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता को चेक बाउंस होने की सूचना चेक प्रस्तुत करने की तिथि को ही मिल गई थी, इस पहलू पर आगे कोई जांच करने की आवश्यकता नही है। इस प्रकार, उनके द्वारा दायर की गई

शिकायत सुनवाई योग्य नही थी, क्योंकि सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस जारी नही किया गया था।

प्रतिवादी संख्या-2 ने 10.11.2008 को दूसरी बार चेक प्रस्तुत किया। चेक के अस्वीकृत होने के बाद, उन्होने अपीलकर्ता को 17.12.2008 को कानूनी नोटिस जारी किया, और उसके बाद 07.01.2009 को परक्राम्य लिखित अधिनियम 138 के तहत शिकायत दर्ज की। उक्त चेक के अस्वीकृत होने पर अपीलकर्ता के विरुद्ध इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत मामला दर्ज किया गया। अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत 28.10.2009 के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, जिसे तहत दंडाधिकारी की अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया था और अपीलकर्ता को समन जारी किया था। अपीलकर्ता का मामला यह था कि वह पेशे से डॉक्टर था, उसने दिसंबर 2006 में अपने क्लिनिक से कुछ चेक, कुछ हस्ताक्षरित और कुछ बिना हस्ताक्षर के, गायब पाए, जिसके संबंध में उसने 30.12.2006 को अनुमंडलीय अधिकारी को सूचना दी कि संबंधित चेक भी उन चोरी हुए चेकों में से एक था। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा शुरु हो चुका है और दो गवाहो की जांच की जा चुकी है और उन्हे बरी कर दिया गया है।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः 1.1. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने पहली बार चेक के अस्वीकृति पर शिकायत दर्ज नही की थी, बल्कि उक्त चेक को भुनाने के लिए फिर से प्रस्तुत किया था। शिकायतकर्ता को दूसरी बार उसी चेक को प्रस्तुत करने का यह अधिकार एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के प्रावधान के तहत उपलब्ध है। शिकायतकर्ता द्वारा चेक को फिर से प्रस्तुत करने के कृत्य पर अपीलकर्ता द्वारा सवाल नही उठाया जा सकता। [पैरा 8-9] एफ [800-डी; 801-सी-डी]

एम. एस. आर. लेदर बनाम एस. पलानीअप्पन एवं अन्य **2012 (9) एस. सी. आर. 165 (2013) 1 एस सी सी 177-पर भरोसा किया गया।**

1.2. हालाँकि, परिसीमन अवधि की गणना उस तिथि से नही की जानी चाहिए जब प्रश्नगत चेक पहली बार 25.10.2008 को प्रस्तुत किया गया था या कानूनी नोटिस 27.10.2008 को जारी किया गया था, क्योंकि चेक 10.11.2008 को फिर से प्रस्तुत किया गया था। परिसीमन अवधि के प्रयोजनों के लिए, जहाँ तक कानूनी नोटिस का संबंध है, इसे प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। चेक के अवैतनिक रुप से वापस आने के बारे में बैंक से आहर्ता द्वारा सूचना प्राप्त करना। इसलिए, चेक अवैतनिक रुप से वापस आने के बाद, इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यह चेक के आहर्ता को भुगतान करने के लिए कानूनी सूचना जारी करने के लिए प्रदान की गई सीमा अवधि है। इस सूचना को भेजने के बाद, भुगतान करने के लिए सूचना प्राप्तकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए, यदि भुगतान पहले से नही किया गया है। यदि नोटिस प्राप्तकर्ता भुगतान करने में विफल रहता है, तो अपराध किया गया माना जा सकता है और उस स्थिति में शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण शिकायतकर्ता को प्राप्त होगा और उसे शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई के कारण की तारीख से एक महीने का समय दिया जाता है। [पैरा 11] [804-सी-जी]

1.3. निर्णय सुरक्षित रखे जाने के पश्चात शिकायतकर्ता ने हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया कि उसे चेक बाउंस होने का बैंक मेमो 17.11.2008 को प्राप्त हुआ था, इसलिए 17.12.2008 को भेजा गया कानूनी नोटिस सूचना की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर था। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं दिए गए कथन से यह स्पष्ट है कि वह 10.11.2008 को चेक भुनाने के लिए बैंक गया था और पाया कि खाते में पर्याप्त शेष राशि

न होने के कारण चेक बाउंस हो गया था। शिकायत में इस बात को स्वीकार किए जाने के मद्देनजर कि शिकायतकर्ता को चेक बाउंस होने की सूचना 10.11.2008 को ही मिल गई थी, इस पहलू पर आगे कोई जांच की आवश्यकता नही है। [पैरा 13] [805-सी-एफ]

1.4. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को चेक के अस्वीकृत के बारे में सूचना 10.11.2008 को ही मिल गई थी। हालांकि, उन्होने 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस नही भेजा। इस प्रकार, उनके द्वारा दायर की गई शिकायत विचारणीय नही थी क्योंकि यह एन.आई. अधिनियम की धारा 138 में निर्धारित सभी तीन शर्तो को पूरा किए बिना दायर की गई थी, जैसा कि एमएआर लेदर्स के मामले में फैसले के पैरा 12 में बताया गया है। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। परिणामस्वरुप, अपीलकर्ता द्वारा धारा 482, सीआरपीसी के तहत दायर याचिका को भी स्वीकार किया जाता है और शिकायतकर्ता की शिकायत को खारिज किया जाता है। [पैरा 14-15] [806-सी.ई]

मामला कानून संदर्भः

2012 (9) एससीआर 16 निर्भर किया गया पैरा 8

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 2083/2013

सी.आर.एल.एम. संख्या- 6772/2011 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 01.11.2012 के निर्णय और आदेश से।

मनन कु. मिश्रा, अखिलेश कुमार पांडे, सुधांशु सरन, स्वाति चंद्रा अपीलकर्ता की ओर से डी. समीर अली खान, नितिन कुमार ठाकुर, अनिलेंद्र पांडे, डी. के. ठाकुर।

न्यायालय का निर्णय **ए.के. सीकरी, न्यायमूर्ति** द्वारा सुनाया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इसमें अपीलकर्ता परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में एन. आई. अधिनियम) की धारा 138 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत में मुकदमे का सामना कर रहा है। अपीलार्थी के अनुसार, आपराधिक शिकायत अनुरसणीय योग्य नहीं है और उसके खिलाफ ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है.इसलिए, उन्होंने 28 अक्टूबर, 2009 के आदेश को रद्द करने के लिए आप.प्र.सं. की धारा 482 के तहत एक याचिका के रूप में पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रत्यर्थी सं.-2 द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया सं.2 और अपीलार्थी को समन जारी किया गया.हालाँकि, इस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1.11.2012 के विवादित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। याचिका को खारिज करते समय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह है कि मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और दो गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है और उन्हें बरी कर दिया गया है। इसलिए, इस स्तर पर मुकदमे में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत की बहुत ही धारणीयता पर सवाल उठाने वाले अपीलार्थी द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्क उच्च न्यायालय द्वारा इस टिप्पणी के साथ नहीं लिये गए हैं कि वे तर्क प्रत्यर्थी नं. 2 के खंडन के अधीन, निचली अदालत के समक्ष अपीलार्थी को उपलब्ध होंगे.

3. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मिश्रा ने कहा कि स्वीकार किए गए तथ्यों पर भी शिकायत असमर्थनीय थी क्योंकि यह स्पष्ट रूप से समयबद्ध थी और कानून में निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं की गई थी और इसलिए उच्च न्यायालय अपीलार्थी द्वारा उठाए गए मुद्दे को केवल निचली अदालत में भेजकर विफल नहीं कर सकता था, जब इस मुद्दे का निर्णय रिकॉर्ड पर स्वीकार किए गए तथ्यों पर किया जा सकता था। उसने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा बिना समय गवाँए खटखटाया और यदि अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के

तहत दायर याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस बीच दो गवाहों की जांच की गई थी, तो वह कारक अपीलार्थी के खिलाफ नहीं हो सकता था.

4. विवाद को समझने के लिए, हम बुनियादी तथ्य दे सकते हैं जो निर्विवाद हैं।

5. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, महुआ शाखा पर तैयार किए गए चेक सं. 003285 के आधार पर दायर की जाती है, जहां अपीलार्थी के पास बैंक खाता है जिसकी खाता सं. 23371 यह चेक 3,45,000/- रुपये की राशि के लिए था। शिकायतकर्ता ने यह चेक 25.10.2008 को प्रस्तुत किया था जिसे बैंक द्वारा अस्वीकृत करके वापस कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा योग्यता के आधार पर स्थापित बचाव यह है कि वह पेशे से एक डॉक्टर है जो अपनी निजी प्रैक्टिस कर रहा है। उन्होंने पाया कि दिसंबर 2006 में उनके क्लीनिक से कुछ चेक गायब थे, जिनमें से कुछ पर हस्ताक्षर किए गए थे और कुछ पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, जिसके बारे में उन्होंने 30 दिसंबर 2006 को उप-मंडल अधिकारी, महुआ को भी जानकारी दी थी। चेक संख्या 003285 भी चोरी हुए चेकों में से एक था। हमने अपीलार्थी के इस बचाव को सिर्फ अभिलेख के लिए कहा है और अपीलकर्ता के इस स्पष्टीकरण में नहीं जा रहे है या उससे प्रभावित नहीं है हम केवल इस बात का जॉच कर रहे हे कि क्या स्वीकार की गई धटनओं पर शिकायत रखने योग्य नहीं है। अभिलिखित करें और अपीलार्थी के इस स्पष्टीकरण में नहीं जा रहे हैं या इससे प्रभावित नहीं हैं। हम केवल इस बात की जांच करते हैं कि क्या स्वीकार की गई घटनाओं पर, शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है।

6. प्रश्नगत चेक 25.10.2008 को प्रस्तुत किया गया था। इसको अस्वीकृत किए जाने के बाद, शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को दिनांक 27.10.2008 का नोटिस जारी किया। अपीलार्थी ने उक्त सूचना में निहित मांग को स्वीकार नहीं किया। यहां तक कि शिकायतकर्ता ने भी उस समय एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं

करने का फैसला किया। इसके बजाय, उन्होंने 10.11.2008 को अपने बैंकर के माध्यम से नकदीकरण के लिए वही चेक फिर से प्रस्तुत किया। अपर्याप्त धन के कारण इस बार भी बाउंस कर गया। अपीलार्थी को 17.12.2008 दिनांकित एक और कानूनी नोटिस भेजा गया था। चूंकि इस कानूनी नोटिस में भी अपीलार्थी से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए इस बार शिकायतकर्ता ने दिनांक 7.01.2009 पर शिकायत दर्ज की। तदनुसार, उपरोक्त घटनाओं का सारांश इस प्रकार हैः

तिथि	घटनाएँ
25.10.2008	चेक प्रस्तुत किया गया
27.10.2008	कानूनी नोटिस
10.11.2008	दूसरी प्रस्तुति
17.12.2008	कानूनी नोटिस
07.01.2009	शिकायत दर्ज कराई गई

7. पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर, श्री मिश्रा का प्रतिवेदन यह था कि परिवाद एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के साथ पठित धारा 142 के अधीन विहित परिसीमा के भीतर फाइल नहीं किया गया था। इस तर्क की सराहना करने के लिए, हम पहले उपरोक्त प्रावधान बताते है जो निम्नानुसार है।

> **"138. अपर्याप्तता आदि के लिए चेक की अस्वीकृतिखाते में जमा राशि, आद** जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए किसी बैंकर के साथ किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए खाते से निकाला गया कोई चेक बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर दिया जाता है, या तो इस कारण

से कि उस खाते में जमा की गई राशि चेक को स्वीकृति करने के लिए अपर्याप्त है या कि वह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान करने के लिए व्यवस्थित राशि से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो चेक की राशि से दोगुना हो सकता है, या दोनों के साथः

6. बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा जब तक कि -

(क) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है, जो भी पहले हो;

(ख) प्रापक या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में, चेक की वापसी के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त होने के [तीस दिनों के भीतर] चेक के ड्रॉअर को लिखित रूप में नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; और

(ग) इस तरह के चेक का आहरणकर्ता उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, चेक के नियत समय में, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

142. अपराधों का संज्ञान- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद -

(क) कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय इसके कि प्राप्तकर्ता द्वारा लिखित रूप में या, जैसा भी मामला हो, की गई शिकायत पर। चेक के नियत समय में धारक;

(ख) ऐसी शिकायत धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर की जाती हैः

[बशर्ते कि किसी शिकायत का संज्ञान न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के बाद लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने का पर्याप्त कारण था]

(ग) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से अवर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।]"

8. वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने पहली बार चेक के बाउंस होने पर शिकायत दर्ज नहीं की थी, बल्कि नकदीकरण के लिए उक्त चेक को फिर से प्रस्तुत किया था। शिकायतकर्ता का वही चेक दूसरी बार प्रस्तुत करने का यह अधिकार उसे उपरोक्त प्रावधान के तहत उपलब्ध है। यह पहलू पहले से ही इस न्यायालय द्वारा **एमएसआर लंदर्स बनाम एस. पालानिअप्पन और अन्य** (2013) 1 एससीसी 177 में अधिकृत रूप से निर्धारित किया गया है। विशिष्ट प्रश्न जो न्यायालय द्वारा विचार के लिए तैयार किया गया था और उस मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था, निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न निम्नानुसार थाः

"क्या चेक का प्राप्तकर्ता या धारक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दूसरी बार उसके अस्वीकृति के लिए अभियोजन शुरू कर सकता है, अगर उसने पहले के कार्रवाई के कारण पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी?"

उपरोक्त मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दियाः

"महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो धारा 138 और न ही धारा 142 या अधिनियम में निहित कोई अन्य प्रावधान धारक या प्राप्तकर्ता को जारी होने के छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, कई अवसरों पर नकदीकरण के लिए चेक प्रस्तुत करने से रोकता है। यह कि इस तरह की प्रस्तुति पूरी तरह से कानूनी और न्यायोचित होगी, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा बार में भी हमारे सामने विवादित नहीं किया गया था और ठीक ही है, उस प्रश्न पर न्यायिक घोषणाओं के प्रकाश में जो सभी सर्वसम्मत हैं। यहां तक कि सदानंदन मामले में भी, जिसकी शुद्धता की हम जांच कर रहे हैं, यह माना गया कि चेक के धारक या प्राप्तकर्ता को छह महीने की अवधि के दौरान या इसकी वैधता की अवधि के दौरान, जो भी पहले हो, उसे नकदीकरण के लिए कितनी भी बार प्रस्तुत करने का अधिकार है।

9. इस हद तक, कोई झगड़ा नहीं हो सकता है और चेक को फिर से प्रस्तुत करने में शिकायतकर्ता के कार्य पर अपीलकर्ता द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है। हालाँकि, हम पाते हैं कि जब चेक को दूसरी बार 10.11.2008 पर प्रस्तुत किया गया था और उसे बिना भुगतान किए वापस कर दिया गया था, तो मांग के लिए कानूनी नोटिस केवल 17.12.2008 पर जारी किया गया था, जो चेक की वापसी के बारे में बैंक से उसके द्वारा जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नहीं था। निर्धारित सीमा के भीतर नोटिस नहीं जारी किए जाने के कारण शिकायत को अनुरक्षणीय बना दिया है।

10. एमएसआर लेदर्स (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय ने एनआई अधिनियम की धारा 138 और 142 के प्रावधानों का निम्नलिखित तरीके से विश्लेषण कियाः

"हालांकि, धारा 138 का प्रावधान सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें तीन अलग-अलग शर्तों का प्रावधान किया गया है, जिन्हें चेक के अस्वीकृती को दंडनीय

बनने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। पहली शर्त यह है कि चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। दूसरी शर्त यह है कि भुगतानकर्ता या धारक को, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में, चेक की वापसी के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, चेक के आहर्ता को लिखित रूप में नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि इस तरह के चेक का आहरणकर्ता उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के नियत समय में प्राप्तकर्ता को या धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा होगा। यह केवल उपरोक्त सभी तीन शर्तों की संतुष्टि पर है और धारा 138 के प्रावधान के तहत खंड (ए), (बी) और (सी) के रूप में गणना की गई है कि धारा 138 के तहत अपराध चेक जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया है।

नेगोसिएबल इंस्ट्रमैट अधिनियम की धारा 142 अपराध का संज्ञान लेने को नियंत्रित करती है और एक गैर-प्रतिरोधी खंड के साथ शुरू होती है। इसमें प्रावधान है कि कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय इसके कि प्राप्तकर्ता द्वारा या, जैसा भी मामला हो, धारक द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत पर और ऐसी शिकायत उस तारीख के एक महीने के भीतर की जाती है जिस दिन धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। धारा 142 के खंड (ग) के संदर्भ में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम कोई भी गणना धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का मुकदमा चलाने के लिए सक्षम नहीं है।

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि धारा 138 के तहत शिकायत तब दायर की जा सकती है जब ऐसा करने का कारण धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के संदर्भ में उपार्जित हो जाता है, जो, जैसा कि पहले देखा

गया है, तब होता है जब चेक का आहर्ता अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (बी) के संदर्भ में भेजे जाने के लिए आवश्यक नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता या चेक धारक को चेक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

चेक की प्रस्तुति और उसकी वैधता की अवधि या छह महीने की अवधि के भीतर उसकी अस्वीकृति उन तीन आवश्यकताओं में से एक है जो अधिनियम की धारा 138 और 142 (बी) के अर्थ के भीतर "कार्रवाई का कारण" का गठन करती हैं, एक ऐसी अभिव्यक्ति जो उस्वीकृति दंडात्मक कानूनों की तुलना में नागरिक कानून में अधिक सामान्य रूप से उपयोग की जाती है। किसी ऐसे अपराध को अंजाम देने के लिए, जिसका कोई न्यायालय संज्ञान ले, दो अन्य अपेक्षाएं हैं, अर्थात् (ए) चेक द्वारा कवर की गई राशि का भुगतान करने के लिए चेक के आहर्ता पर नोटिस की सेवा, और (बी) आहर्ता द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा कोई भुगतान करने में विफलता। यह केवल तभी होता है जब उक्त दो शर्तों को चेक के अस्वीकृति के साथ जोड़ा जाता है कि चेक का धारक/प्राप्तकर्ता अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए कार्यवाही शुरू करने का अधिकार प्राप्त करता है, जो उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय रहता है जिस दिन उसे कार्रवाई का कारण प्राप्त हुआ था। इसलिए, उस मामले के लिए धारा 138 या धारा 142 के परंतुक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्वीकृति चेक के धारक/प्राप्तकर्ता को अनिवार्य रूप से शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य करे, भले ही उसने ऐसा करने का अक्षम्य अधिकार प्राप्त कर लिया हो। यह तथ्य कि एक अपराध पूर्ण है, आवश्यक रूप से अभियोजन शुरू करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, विशेष रूप से जब अपराध संज्ञेय नहीं है। यह इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता, भले ही उसे चेक के आहर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का तत्काल अधिकार हो, या तो चेक के धारक/प्राप्तकर्ता के

अनुरोध पर या अपनी इच्छा से, उस पर उपार्जित कार्रवाई के कारण के आधार पर कार्यवाही शुरू करने से बच सकता है। अभियोजन को स्थगित करने का ऐसा निर्णय कई विचारों से प्रेरित हो सकता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक आश्वासन से प्रेरित हो सकता है जो आहर्ता चेक के धारक को देता है कि कुछ समय दिए जाने पर चेक द्वारा अन्ततर्निहित किए गए भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रक्रिया में समय लेने वाला और आम तौर पर महंगा कानूनी सहारा देना अनावश्यक है। यह इस विश्वास से भी प्रेरित हो सकता है कि चेक की एक नई प्रस्तुति के परिणामस्वरूप व्यापार और व्यावसायिक लेन-देन के उतार-चढ़ाव सहित विभिन्न कारणों से नकदीकरण हो सकता है, जहां पक्षों द्वारा एक-दूसरे को दिया गया वित्तीय समायोजन एक अज्ञात घटना नहीं है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अधिनियम के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेक के धारक/प्राप्तकर्ता को अधिनियम की धारा 138 के परंतुक के खंड (बी) के तहत एक नए नोटिस की सेवा की मांग करने से रोकता है, जो चेक द्वारा अन्ततर्निहित की गई राशि है, अगर इसकी प्रस्तुति पर चेक को दूसरीबार या लगातार अस्वीकृत होता है।

11. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सीमा की अवधि को उस तारीख से नहीं गिना जाना चाहिए जब प्रश्नगत चेक को पहली बार में 25.10.2008 को प्रस्तुत किया गया था या कानूनी नोटिस 27.10.2008 को जारी किया गया था, क्योंकि चेक को फिर से 10.11.2008 को प्रस्तुत किया गया था। सीमा के प्रयोजनों के लिए, जहां तक कानूनी सूचना का संबंध है, यह चेक को भुगतान न किए जाने के संबंध में बैंक से निकासीकर्ता द्वारा जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दिया जाना है। इसलिए, चेक को भुगतान किए बिना वापस करने के बाद, इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यह भुगतान करने के लिए चेक के आदरणकर्ता पर कानूनी नोटिस जारी करने के लिए प्रदान की गई सीमा अवधि है चेक आहर्ता को भुगतान करने के लिए कहने का इस

सूचना को भेजने के बाद, यदि भुगतान पहले ही नहीं किया गया है, तो भुगतान करने के लिए उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से, सूचना प्राप्तकर्ता को 15 दिनों का समय दिया जाना है। यदि प्राप्तकर्ता भुगतान करने में विफल रहता है, तो अपराध को किया गया कहा जा सकता है और उस स्थिति में शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई का कारण शिकायतकर्ता को प्राप्त होगा और उसे शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई के कारण की तारीख से एक महीने का समय दिया जाता है।

12. उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि चेक दूसरी बार 10.11.2008 को प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने 30 दिनों की समाप्ति के बहुत बाद 17.12.2008 को कानूनी नोटिस भेजा। स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत से यह स्पष्ट है कि वह 10.11.2008 को चेक को भुनाने के लिए बैंक गया था, लेकिन खाते में शेष राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण चेक स्वीकृत नहीं किया गया था।

13. महत्वपूर्ण सवाल यह है कि शिकायतकर्ता को चेक के अस्वीकृति के बारे में किस तारीख को जानकारी मिली। अपीलार्थी के अनुसार शिकायतकर्ता को 10.11.2008 को चेक के अस्वीकृती के बारे में जानकारी मिली। हालाँकि, प्रतिवादी ने उसी पर विवाद किया है। तथापि, हमलोग यह जोड़ना चाहेगे कि बहस के समय अपीलार्थी के पूर्वोक्त प्रस्तुतीकरण का खंडन नहीं किया गया था.फैसला सुरक्षित रखने के बाद, शिकायतकर्ता ने हलफनामा दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसे 17.11.2008 को चेक के अस्वीकृति का बैंक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसलिए 17.12.2008 को भेजी गई कानूनी नोटिस सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर है। आम तौर पर, हम पक्षों को अपने साक्ष्य का नेतृत्व करके निचली अदालत के समक्ष अपने-अपने पक्ष को साबित करने के लिए कहते। हालाँकि, वर्तमान मामले में, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही बताया है, शिकायतकर्ता ने शिकायत में ही स्वीकार किया है कि वह 10.11.2008 को चेक को भुनाने

के लिए बैंक गया था और अपर्याप्त धन के कारण चेक का स्वीकृति नहीं किया गया था, जिससे यह स्वीकार किया गया कि उसे 10.11.2008 को ही चेक के अस्वीकृति के बारे में पता चला था। यही कारण है कि अपीलार्थी ने यह कहते हुए जवाबी हलफनामा दायर किया है कि यह एक विचार के बाद की याचिका है क्योंकि नीचे की अदालत के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री दायर नहीं की गई है कि बैंक ने चेक की वापसी के बारे में ज्ञापन जारी किया था जो शिकायतकर्ता को 17.11.2008 को प्राप्त हुआ था। इस संबंध में शिकायत में किया गया विशिष्ट कथन इस प्रकार हैः

> "इसके बाद शिकायतकर्ता ने फिर से 10.11.2008 को आरोपी द्वारा दिए गए चेक को भुनाने के लिए चला गया, जो आरोपी के खाते में शेष राशि न होने के कारण फिर से अस्वीकृत हो गया।" इस प्रकार, स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा किए गए उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वह 10.11.2008 को चेक को भुनाने के लिए बैंक गया था और पाया कि खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण चेक अस्वीकृति हो गया था। इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें इसके बारे में 10.11.2008 को ही पता चला था। शिकायतकर्ता द्वारा 10.11.2008 का जतही चेक की अस्वीकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बारे में शिकायत में इस स्वीकारोक्ति को देखते हुए, इस पहलू पर आगे किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

14. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उसे चेक की अस्वीकृति के बारे में जानकारी 10 नवम्बर, 2008 को ही प्राप्त हुई थी। हालाँकि, उन्होंने 30 दिनों के भीतर कानूनी नोटिस नहीं भेजा। इस प्रकार, हम पाते हैं कि उनके द्वारा दायर की गई शिकायत विचारणीय नहीं थी क्योंकि यह धारा 138 एन. आई. अधिनियम में निर्धारित तीनों शर्तों को पूरा किए बिना दायर की गई थी। 23.02.2012 बी+ का, जैसा कि ऊपर स्पष्ट गए एम. एस. आर. लंदर्स मामले में निर्णय के पैरा 12 में समझाया गया है।

15. इस प्रकार, हमें इस अपील को स्वीकार करने और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द करने में कोई संकोच नहीं है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता द्वारा धारा 482, दंड प्र.सं. के तहत दायर याचिका को भी अनुमति दी जाती है और शिकायतकर्ता की शिकायत को खारिज कर दिया जाता है।

आर पी अपील की अनुमति